









# मध्य प्रदेश में रेत नीति तैयार सरकार की सहमति का इंतजार

## कीमत बढ़ाने पर रहेगी रोक

■ भोपाल, यशभारत।

मध्य प्रदेश में इसी साल से नई रेत नीति लागू होनी है। खनिज साधन विभाग ने नीति तैयार कर ली है, जो केविट की सहमति के लिए भेजी गई है। नई नीति में रेत की कीमत नियंत्रण के प्रयास किए गए हैं। इसमें प्रविधान दिया है कि टेकेदार रेत की कीमत नहीं बढ़ाएगी। वहाँ उन्हें छेके जाएंगे। अब तक उन्हें 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होती है। अब तक उन्हें 15 प्रतिशत राशि जमा करनी पड़ती थी। बता दें कि वर्षाकाल के बाद प्रदेश में नई रेत नीति के अनुसार खदानें नीलाम की जाएंगी। कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2019 में रेत नीति बनाई थी, जिसमें रेत खदानों से मिलने वाले गांजस्क और उत्तरवाहिक घुट्ठी थीं, जो खदानें ढारा सौर कोरड़ में नीलाम होती थीं, जो 2019 कोरड़ स्तर पर समूह बनाने नीलाम करने का प्रविधान किया गया है। अधिकारियों का दो साल बढ़ा भी किया जाया। टेकेदार खदानों ले सकेंगे, किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो राशि बढ़ा भी बढ़ेगा। इससे खदानों से नहीं निकल पाए और करीब 18 जिलों की खदानों के द्वेष दी या मासिक किस जमा न करने के कारण खनिज विभाग ने खदानों परी अवधि चल सकेंगी। नई नीति में तीन



टेकेदार समाप्त कर दिए। नई रेत नीति में तहसील स्तर पर समूह बनाने नीलाम करने का प्रविधान है। अधिकारियों का दो साल बढ़ा भी किया जाया। टेकेदार खदानों ले सकेंगे, किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो राशि बढ़ा भी बढ़ेगा। इससे खदानों के शुरू करने के लिए पर्यावरण और उत्तरवाहिक घुट्ठी थीं, जो खदानें ढारा सौर कोरड़ में नीलाम होती थीं, जो 2019 कोरड़ स्तर पर समूह बनाने नीलाम करने का प्रविधान किया गया है। अधिकारियों का कहना है। और अनुमति लेने में देरी होती है तो जितने देरी होगी, उतना अधिक असमय टेकेदार को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मैटिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में होगी डायलिसिस थोपाल (राज्य ब्लूरो)। मध्य प्रदेश में डायलिसिस सेवाओं में विस्तार की तैयारी है। मैटिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में भी इसकी सुविधा मिलेगी। अभी सिर्फ सात सिविल अस्पताल समेत सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की जा रही है। जिला अस्पतालों में भी मासिनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी प्रदेश में लगापांडे सौ मासिनों हैं, जिन्हें बढ़ाकर इस वर्ष 310 किया जाएगा।

उत्तरवाहिक की अनुमति जरूरी है। यह काम अब टेकेदार नहीं करेंगे, बोकों का इंतजार टेकेदार की अवधि समाप्त होने तक अनुमति नहीं ले पाते हैं। इस बारे में यह अनुमति खनिज विभाग लेगा। टेकेदार को सभी अनुमतियों के साथ खदान सौंचा जाएंगे। यह लेना दिया जा चुका है और अनुमति लेने में देरी होती है तो जितने देरी होगी, उतना अधिक असमय टेकेदार को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मैटिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में होगी डायलिसिस थोपाल (राज्य ब्लूरो)। मध्य प्रदेश में डायलिसिस सेवाओं में विस्तार की तैयारी है। मैटिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में भी इसकी सुविधा मिलेगी। अभी सिर्फ सात सिविल अस्पताल समेत सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की जा रही है। जिला अस्पतालों में भी मासिनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी प्रदेश में लगापांडे सौ मासिनों हैं, जिन्हें बढ़ाकर इस वर्ष 310 किया जाएगा।

### विभाग लेगा अनुमति





